दिनांक 05.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 07/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद कुशीनगर/थाना अहिरौली बाजार</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 4870/–रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **चोरी का 01 दो पहिया वाहन**
- **चोरी के स्कूटी के इंजन व पार्ट्स**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 05.12.2024 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–संदीप 2–रवि कुमार 3–ओमकार 4–मनीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, चोरी के 4870/–रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, चोरी का 01 दो पहिया वाहन, चोरी के स्कूटी के इंजन व पार्ट्स, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना अहिरौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अहिरौली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये, स्कूटी के इंजन व पार्ट्स आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त संदीप के विरूद्ध जनपद गोरखपुर, कुशीनगर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 09 अभियोग व अभियुक्त रवि कुमार के विरूद्ध जनपद गोरखपुर, कुशीनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संदीप निवासी मुण्डेरा बाबू थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।,

2–रवि कुमार निवासी सेमर नं0–02 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।

3–ओमकार निवासी जंगल मोहम्मद बरवा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।

4–मनीष निवासी भटहट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–चोरी के 4870/–रूपये नगद।

3–03 मोबाइल फोन।

4–चोरी का 01 दो पहिया वाहन।

5–चोरी के स्कूटी के इंजन व पार्ट्स।

6–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली कायमगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 21 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 04.12.2024 की रात्रि थाना कायमगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–हिमांशु 2–अंकित को गिरफ्तार किया गया तथा 02 बालअपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 21 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशु के विरूद्ध जनपद फतेहगढ़, कन्नौज , एटा के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त अंकित के विरूद्ध जनपद फतेहगढ़, एटा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हिमांशु निवासी अर्रापहाड़पुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

2–अंकित निवासी किशनपुर थाना राजा का रामपुर जनपद एटा।

बरामदगी

1–चोरी की 21 दो पहिया वाहन।

2–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बागपत/थाना बडौत

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 चोरी की मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 04.12.2024 की रात्रि थाना बडौत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ईदरीशपुर–शिकोहपुर मार्ग पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शहजाद 2–साहिल घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 चोरी की मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त साहिल के विरूद्ध जनपद बागपत के थाना बडौत पर चोरी, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त शहजाद के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, बागपत के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शहजाद निवासी नन्दनगरी थाना नन्दनगरी नार्थ ईस्ट, दिल्ली।

2—साहिल निवासी पूजा कालोनी थाना खजूरी खास नार्थ ईस्ट, दिल्ली।

बरामदगी

1—01 चोरी की मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बिजनौर/थाना रेहड़

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के 26 मोबाइल फोन, 04 स्मार्ट वाच, 04 इयर बर्ड, 02 आई पैड**
- **2500/—रूपये नगद आदि बरामद**

दिनॉकः 05.12.2024 को थाना रेहड़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त सोनू उर्फ सुहेल को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 26 मोबाइल फोन, 04 स्मार्ट वाच, 04 इयर बर्ड, 02 आई पैड, 2500/—रूपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना रेहड़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रेहड़ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मोबाइल आदि

चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रेहड़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सोनू उर्फ सुहेल निवासी मो0 किला डूडा कालोनी कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1—चोरी के 26 मोबाइल फोन, 04 स्मार्ट वाच, 04 इयर बर्ड, 02 आई पैड।

2—2500/—रूपये नगद आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना रोजा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलो 10 ग्राम अवैध अफीम**
- **03 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 05.12.2024 को थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर होण्डा ब्रिज के पास सर्विस रोड से 03 अभियुक्तों 1—अभिनव 2—शिवेन्द्र 3—आयुष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 किलो 10 ग्राम अवैध अफीम, 03 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अभिनव निवासी ग्राम बचिगवां थाना उचौलिया जनपद खीरी।

2—शिवेन्द्र निवासी ग्राम कोला सोता थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

3—आयुष निवासी मोहल्ला थान कस्बा व थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–01 किलो 10 ग्राम अवैध अफीम।

2–03 मोबाइल फोन।

- **जनपद फतेहगढ़/थाना कायमगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना कायमगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गणेश को 20 वर्ष के कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना बकेवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 06 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त योगेन्द्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 06 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना खागा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना खागा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 306 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विनोद को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद खीरी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 05 करोड़ 55 लाख 23 हजार 646 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद खीरी पुलिस ने अभियुक्त 1–मतीन पुत्र रहीमबक्श 2–अब्दुल गनी उर्फ ग्यानी पुत्र हबीब निवासीगण भुडवारा थाना गोला जनपद खीरी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति कीमत करीब 05 करोड़ 55 लाख 23 हजार 646 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

———